निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार

श्री के.आर.चौहान सहायक कलक्टरएवं उपखण्ड अधिकारी(RAS) देवगढ़

केम्प स्वादड़ी

क्र.सं 2/2018 प्रा.पत्र

निर्णय दिनांक 21.05.2018

अनवान

1. श्री गोमसिंह पिता लालसिंह रावत नि. स्वादड़ी अ तह. देवगढ़ जि.राजसमंद

.....वादी

बनाम

1. श्री चतरसिंह पिता लालसिंह रावत नि. स्वादड़ी अ तह. देवगढ़ जि.राजसमंद
2. श्रीमति दल्लु पुत्री भादूसिंह पत्नि वरदसिंह रावत नि. स्वादड़ी अ तह. देवगढ़ जि.राजसमंद
3. श्रीमति अणछी पुत्री भादूसिंह पत्नि लक्ष्मणसिंह रावत नि. स्वादड़ी अ तह. देवगढ़ जि.राजसमंद
4. श्रीमति मींरा पुत्री भादूसिंह पत्नि लक्ष्मणसिंह रावत नि. स्वादड़ी अ तह. देवगढ़ जि.राजसमंद
5. श्रीमति सुशीला पुत्री वरदसिंह पत्नि मनोहरसिंह रावत नि. स्वादड़ी अ तह. देवगढ़ जि.राजसमंद
6. श्री शारदा पुत्री वरदसिंह पत्नि मनोहरसिंह रावत नि. स्वादड़ी अ तह. देवगढ़ जि.राजसमंद
7. श्रीमति कंवरी पत्नि वरदसिंह मनोहरसिंह रावत नि. स्वादड़ी अ तह. देवगढ़ जि.राजसमंद
8. श्रीमति तुलसीदेवी पिता गमनसिंह रावत नि. स्वादड़ी अ तह. देवगढ़ जि.राजसमंद
9. श्री नोजसिंह पिता भूरसिंह रावत नि. स्वादड़ी अ तह. देवगढ़ जि.राजसमंद
10. श्री नारायणसिंह पिता मोतीसिंह रावत नि. स्वादड़ी अ तह. देवगढ़ जि.राजसमंद
11. श्री केशरसिंह पिता भोलसिंह रावत नि. स्वादड़ी अ तह. देवगढ़ जि.राजसमंद
12. श्री पनासिंह पिता भोलसिंह रावत नि. स्वादड़ी अ तह. देवगढ़ जि.राजसमंद
13. श्री जीवनसिंह पिता उदयसिंह रावत नि. स्वादड़ी अ तह. देवगढ़ जि.राजसमंद
14. श्री चन्दसिंह पिता उदयसिंह रावत नि. स्वादड़ी अ तह. देवगढ़ जि.राजसमंद
15. सरपंच ग्राम पंचायत स्वादडी तहसील त.देवगढ़ जि. राजसमंद

.....प्रतिवादीगण

अपील ना.क.सं. 343 दिनांक 13.1.194 पश्चातवर्ती अ.नां.क. सं. 811 दिनांक 29.7.2017

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प स्वादड़ी में पेश हुई। पक्षकारान को जारी सम्मन तामील हो शा. पत्रावली हैं। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट सं. 1,9,10,11 उपस्थित हैं। अपीलाण्ट की अपील संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुई कि

अपीलाण्ट ने एक अपील पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट के पिता लालासिंह की मृत्यु 33 वर्ष पूर्व हो चुकी थी अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 14 अविभाजित हिन्दु परिवार के सदस्य होकर मूल पुरूष श्री गंगासिंह थे। ग्राम स्वादडी ए में स्व. लालसिंह की मौरूसी भूमि स्थित थी जिसके खाता सं., खसरा व रकबा कमशः इस प्रकार हैं:–

सहायक कलेक्टर

खाता संख्या	कुल खसरा	रकबा
156	11	6.00
157	1	0.2
158	4	1.00
159	1	0.02
160	5	2.10
161	10	6.05
102	3	13.01
103	1	3.00
79	1	0.03
58	1	0.11
59	5	2.03
117	1	0.6
118	1	0.04
143	1	0.02
21	16	9.04
59	1	0.02
601.00	5	2.10
61	10	6.05
62	1	0.02
63	4	1
77	1	0.01
87	5	1.17
144	3	13.01
145	1	3.00
154	1	0.06
158	1	0.04
202	1	0.02
206	19	31.11
214	7	1.09
219	1	0.11
237	1	0.03
240	15	10.17
249	20	13.09
251	5	2.14
58	11	6.00

लालासिंह की मृत्यु पश्चात पटवारी हल्का ने वारीसान की जांच किये बिना केवल चतरसिंह, भादूसिंह पिता लालासिंह के नाम विरासत से ना. क. सं. 343 दर्ज कर दिया। जबकी मृतक लालसिंह के पांच पुत्र भूरसिंह गोमसिंह भोलसिंह चतरसिंह व भादूसिंह थे। अपिलाण्ट के पिता लालासिंह के स्वर्गवास हो जाने से उनके उतराधिकारी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट है। अपीलाण्ट के भाई चतरसिंह भादूसिंह व मृतक भूरसिंह भोलसिंह के वारिसान के नाम ना. क. खोला जाना चाहिये था। परन्तु केवल दो भाई चतरसिंह व भादूसिंह के नाम ही खोला गया। जो की गलत हैं। भादू सिंह की मृत्यु हो जाने से जरिये ना.क. सं. 811 से उनके वारिसान के नाम ना.क. खोला गया। अपिलाण्ट के मृतक पिता लालसिंह एवं दो पुत्र चतरसिंह व भादूसिंह होने से बड़े भाईयों को वारिसान बना कर उनके नाम ना.क. खोल दिया जो कि गलत खोला गया। जबकि मृतक लालसिंह के 5 पुत्र भूरसिंह, गोमसिंह, भोलसिंह, चतरसिंह व भादूसिंह थे। और अपिलाण्ट के पिता लालसिंह जो मृतक खातेदार के वारिस हैं। उनके नाम ना.क. दर्ज नहीं कर कानूनी भूल की थी। अपिलाण्ट को ग्राम पंचायत ने इस बाबत कोई सूचना नहीं दी। उक्त ना.क. में 1/5 हिस्स अपिलाण्ट का हैं जो वंचित करते हुए ना.क. खोला गया हैं पूर्ववर्ती ना.क. अवैध होने से पश्चातवर्ती सारे ना.क. अवैध होकर काबिल निरस्त हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर ना.क. सं. 343 ग्राम स्वादडी प.ह. स्वादड़ी ए तहसील देवगढ़ निरस्त फरमाया जाकर पश्चातवर्ती ना.क. से 811 को पारित किये हैं उन्हें निरस्त करते हुए अपीलाण्ट के पिता के नाम दर्ज भूमि में से 1/5 हिस्से की भूमि उसके नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प स्वादड़ी में नियत कर पक्षकारान को सूचना पत्र जारी किय गये। कैम्प में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्टगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। उपस्थित रेस्पोडेण्टगण ने अपीलाण्ट की अपील सही होना स्वीकार किया।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कि जाती हैं। ग्राम स्वादडी प.ह. स्वादड़ी ए तहसील देवगढ़ के ना.क. सं. 343 व पश्चातवर्ती ना.क. 811 को निरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तथा

सहायक कलेक्टर

[illegible]	कुल खसरा	रकबा
[illegible]	11	6.00
157	1	0.2
158	4	1.00
159	1	0.02
160	5	2.10
161	10	6.05
102	3	13.01
103	1	3.00
79	1	0.03
58	1	0.11
59	5	2.03

117	1	0.6
118	1	0.04
143	1	0.02
21	16	9.04
59	1	0.02
601.00	5	2.10
61	10	6.05
62	1	0.02
63	4	1
77	1	0.01
87	5	1.17
144	3	13.01

145	1	3.00
154	1	0.06
158	1	0.04
202	1	0.02
206	19	31.11
214	7	1.09
219	1	0.11
237	1	0.03
240	15	10.17
249	20	13.09
251	5	2.14
58	11	6.00

में अपीलाण्ट के पिता के नाम दर्ज भूमि में 1/5 हिस्सा भूमि अपीलाण्ट के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम कि जावें।

निर्णय आज दिनांक 21.5.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प स्वादड़ी में मझमें आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देवगढ़, जिला राजसमंद

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द